फा.सं.38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए) खण्ड-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 3 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन का संराशीकरण/कुटुम्ब पेंशन/अशक्तता पेंशन/अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त क्षतिपूर्ति का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा-उपदान/कुटुम्ब पेंशन/अशक्तता पेंशन और अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त क्षतिपूर्ति तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 आदि के अन्तर्गत पेंशन का संराशीकरण का विनियमन करने वाली नियमावली में आशोधन करने के लिए इस विभाग के दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08 पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए थे । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने के बारे में इस विभाग में इसके सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से परामर्श करने के मामलों पर विचार किया गया है तथा दिनांक 2.9.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण/आशोधन किए गए हैं :-

क्र. सं.	दिनांक 2.9.2008 के कार्यलय ज्ञापन सं. 38/37/08पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) के बारे में उठाया गया मुद्दा ।	स्पष्टीकरण/आशोधन
1.	पैरा 5.2 से पैरा 5.4 क्या पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50% पेंशन अथवा अन्तिम लिया गया वेतन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जो भी अधिक लाभकारी हो, के भुगतान हेतु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की	(i) हाँ, वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.33 में सिफारिश की है कि 33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन का अनुबन्धन अलग कर देना चाहिए । ज्योंही कोई कर्मचारी 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर लेता है,

https://www.staffnews.in

सिफारिश, आदेश जारी होने की तारीख अर्थात् 2.9.2008 से भी लागू होंगी ।	पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50 % अथवा अन्तिम लिया गया वेतन, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के लिए जो भी अधिक लाभकारी हो, पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए । पैरा 6.5.3 में, आयोग ने सिफारिश की है कि 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन के भुगतान के संबंध में सिफारिश, रक्षा बलों के पी.बी.ओ.आर. के अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उस तारीख से जिसको सरकार ने इसे स्वीकार किया है केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी । पैरा 5.1.33 की सिफारिश एक पैकेज के रूप में ली जारी है और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 6.5.3 के मद्देनज़र पैरा 5.1.33 की सभी सिफारिशें भविष्यलक्षी प्रभाव से दी गई है । (ii) फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पेंशनभोगी के दिनांक 1.1.2006 के पद की पेंशन भी, उस तारीख जिसको वह सेवानिवृत्त हुआ है, वेतनबैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग का 50%(एच.ए.जी.और उससे ऊपर के मामले में वेतनमान के न्यूनतम का 50% के योग से कम नहीं होगी । उदाहरणार्थ यदि कोई पेंशनभोगी 37400-67000/-रूपए के वेतनबैंड में 10000/-रूपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन में सेवानिवृत्त हुआ है तो उसकी न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 37400 जमा 10000 का 50% होगी (अर्थात् 23700/-रूपए) उन लोगों के लिए जो 1.1.2006 और 2.9.2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972, के नियम 49 के अनुसार इस अवधि के दौरान जैसा भी लागू हो,

		पूरी पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित सेवा से पेंशनभोगी की सेवा कम हुई तो पेंशन यथानुपात में कम कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में पेंशन 3500/-रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी । यदि पेंशन की गणना केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 के अनुसार की गई थी जो 2.9.2008 के पहले लागू थी, उपर्युक्त दर्शाए गए तरीके से अधिक होती है तो वह पेंशन (उच्चतर पेंशन) मूल पेंशन के रूप में मानी जाएगी ।
2.	पैरा 5.7 और पैरा 8.3 क्या पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन 80 वर्ष अथवा उससे ऊपर आयु प्राप्त कर लेने अथवा जन्मतिथि के महीने की पहली तारीख से देय होगी ।	80 वर्ष और उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा जन्मतिथि के महीने की पहली तारीख से लागू होगी । उदाहरणार्थ यदि कोई पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी अगस्त, 2008 में 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, वे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी भी, जिन की जन्मतिथि 01 अगस्त है, 80 वर्ष और उससे ऊपर आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे ।
3.	पैरा 8.2 क्या बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन के लिए भुगतान की 10 वर्ष की अवधि उस सरकारी सेवक के मामले में भी लागू होगी जिनकी मृत्यु 1.1.2006 के पूर्व हो गई थी तथा उनके सम्बन्ध में जिनका परिवार 1.1.2006 को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहा था ।	हाँ, बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन के भुगतान की 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जाएगी । फिर भी, ये आदेश उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 7 वर्ष की अवधि पहले ही 1.1.2006 को पूरी हो गई है और

https://www.staffnews.in

		उस परिवार को, उसी तारीख को सामान्य कुटुम्ब पैंशन प्राप्त हुई थी ।
4.	पैरा-10.1 (क) क्या सतत परिचारी भत्ता 1.1.2006 अथवा आदेशो के जारी होने की तारीख अर्थात् 2.9.2008 से देय है । (ख) क्या पेशनभोगी जो 1.1.2006 से अशक्तता पैंशन पर सेवानिवृत्त हो गए थे, भी सतत परिचारी भत्ता के हकदार होंगे । (ग) क्या महंगाई राहत सतत परिचारी भत्ता पर मान्य होगी ।	(क) सतत परिचारी भत्ता 1.1.2006 से देय है । (ख) हाँ, वे पैंशनभोगी जो 1.1.2006 को पहले अशक्तता पैंशन पर सेवानिवृत्त हो गए थे और पैरा,.10.1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं, सतत परिचारी भत्ता के भी हकदार होंगे । (ग) नहीं ।
5.	पैरा 12 वे सरकारी सेवक जो 1.1.1996 से 10 महीने के भीतर सेवानिवृत्त हो गए थे, औसत परिलब्धियों की गणना के लिए 1996 पूर्व मूल वेतन का बढ़े हुए 40% के नोसनल लाभ के लिए अनुमत थे । क्या वैसा ही लाभ उन सरकारी सेवकों के मामले में भी दिया जाएगा जो 1.1.2006 के बाद संशोधित वेतन ढांचे में आने की तारीख से 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गए हैं ।	उन सरकारी सेवकों जिन्होंने संशोधित वेतन बैंड में वेतन नियत करने का विकल्प लिया है, और संशोधित वेतन बैंड में आने की तारीख से 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, के मामले में औसत परिलब्धियों की गणना के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 महीने की अवधि का मूल वेतन की गणना निम्नलिखित के अनुसार ध्यान देते हुए की जाएगी :- (i) उस अवधि के लिए जिसके दौरान संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन लिया जाता है- निर्धारित वेतन बैंड में लिया गया वेतन जमा लागू ग्रेड वेतन अथवा एच.ए.जी + और उससे ऊपर के मामले में वेतनमान में वेतन ।

		(ii) उस शेष अवधि के लिए जिसके दौरान संशोधन पूर्व वेतनमान में वेतन लिया गया है- (क) मूल वेतन जमा महंगाई वेतन तथा संगत अवधि के दौरान लिया गया 1.1.2006 को लागू दर पर मूल वेतन का उपर्युक्त वास्तविक मंहगाई भत्ता ।
6.	पैरा 13 (ii) क्या उन सरकारी सेवकों के लिए परिलब्धियों के 50% की दर से पेंशन की गणना का लाभ उपलब्ध होगा जो संशोधन पूर्व वेतनान को प्रतिधारित करते हैं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं ।	दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08 पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) का निर्धारित पैरा 13(ii) उनके मामले में लागू होगा जो 2.9.2008 को अर्थात, उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं । उन सरकारी सेवकों जो संशोधन-पूर्व वेतनमान को प्रतिधारित करते हैं तथा 1.1.2006 और 2.9.2008 के मध्य संशोधन पूर्व वेतनमान से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, की पेंशन की गणना 2.9.2008 से पूर्व तत्काल लागू आदेशों के अनुसार औसत परिलब्धियों के 50% पर की जाएगी । पैरा 13(ii) इस सीमा तक आशोधित बना रहेगा ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन के मामले निपटाते समय स्पष्टीकरण को ध्यान में रखें । उन्हें उपर्युक्त मुद्दों पर पेंशनभोगी से उनको प्राप्त अभ्यावेदनों को, इस विभाग में उनके भेजने के बिना निपटाने की सलाह दी जाती है ।

https://www.staffnews.in

3. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से दिनांक 30.09.2008 के.आई.सी.यू.ओ. सं. 4.2/22/2008-आई.सी के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलीफैक्स सं. 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

https://www.staffnews.in

F. No 38/37/08-P&PW(A).pt.II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003

Dated the 3rd October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Implementation of Government's decision on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission - Revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation.

The undersigned is directed to state that in pursuance of Government's decision on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission, orders were issued vide this Department's O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 2.9.2008 for introducing modifications in the rules regulating pension, Retirement/Death/Service Gratuity/Family Pension/disability pension and ex-gratia lump-sum compensation under the CCS (Pension) Rules, 1972 and Commutation of Pension under CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981, CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939, etc. A number of references are being received in this Department seeking clarifications in regard to various provisions of the aforesaid O.M. The matter has been considered in consultation with the Ministry of Finance, Department of Expenditure and the following clarifications/modifications are made in regard to the aforesaid O.M. dated 2.9.2008:

S. No	Point raised in regard to the OM No.38/37/08-P&PW(A) dated 2.9.2008	Clarification/modification
1	**Para 5.2 to Para 5.4** Whether the recommendation of the Sixth CPC for payment of pension at 50% of the average emoluments received during the last 10 months or the pay last drawn, whichever is more beneficial to the retiring employee, will also take effect from the date of issue of the orders i.e. 2.9.2008.	(i)Yes. The Pay Commission has recommended in para 5.1.33 of its Report that linkage of full pension with 33 years of qualifying service should be dispensed with. Once an employee renders the minimum pensionable service of 20 years, pension should be paid at 50% of the average emoluments received during the past 10 months or the pay last drawn, whichever is more beneficial to the retiring employee. In para 6.5.3, the Commission has recommended that the recommendation regarding payment of full pension on completion of 20 years of qualifying service will take effect only prospectively for all Government employees other than PBORs in Defence Forces from the date it is accepted by the Government. The recommendation in para 5.1.33 is to be taken as one package and in view of para 6.5.3 of the report of Sixth CPC, the whole recommendation in para 5.1.33 has been given prospective effect. (ii) It is, however, clarified that the pension of a post-1.1.2006 pensioner shall also not be lower than fifty percent of the sum of the minimum of the pay in the pay band and the grade pay (or 50% of the

https://www.staffnews.in

		minimum of the scale in the case of HAG+ and above) from which the pensioner has retired. For example, if a pensioner has retired in the grade pay of Rs. 10,000/- p.m in the pay band of Rs. 37400-67000, his minimum guaranteed pension would be 50% of Rs. 37,400+Rs. 10,000 (i.e. Rs. 23,700). For those who have retired between 1.1.2006 and 2.9.2008, the pension will be reduced pro-rata, where the pensioner had less than the maximum required service for full pension as per rule 49 of CCS(Pension) Rules 1972 as applicable during that period and in no case it will be less than Rs.3500 p.m. In case the pension calculated in accordance with Rule 49 of CCS(Pension) Rules1972, as applicable before 2.9.2008, is higher than the pension calculated in the manner indicated above, the same (higher pension) will be treated as Basic Pension.
2	**Para 5.7 and Para 8.3** Whether the additional pension/family pension available to old pensioners would be payable from the date of attaining the age of 80 years or above or from the first day of the month in which the date of birth falls	The additional quantum of pension/family pension, on attaining the age of 80 years and above, would be admissible from the 1st day of the month in which his date of birth falls. For example, if a pensioner/ family pensioner completes age of 80 years in the month of August, 2008, he will be entitled to additional pension/family pension w.e.f. 1.8.2008. Those pensioners/family pensioners whose date of birth is 1st August, will also be entitled to additional pension/family pension w.e.f. 1.8.2008 on attaining the age of 80 years and above.
3	**Para 8.2** Whether the period of 10 years for payment of enhanced family pension would also apply in the case of a Government servant who died before 1.1.2006 and in respect of whom the family was receiving enhanced family pension as on 1.1.2006.	Yes. The period of 10 years for payment of enhanced family pension will count from the date of death of the Government servant. These orders will, however, not apply in a case where the period of seven years for payment of enhanced family pension has already been completed as on 1.1.2006 and the family was in receipt of normal family pension on that date.

https://www.staffnews.in

4	**Para 10.1** (a) Whether the Constant Attendant Allowance is payable **from 1.1.2006 or from the date of issue of the orders i.e. 2.9.2008.** (b) Whether the pensioners who retired on disability pension **before 1.1.2006** would also be entitled to Constant Attendant Allowance. (c) Whether Dearness Relief will be admissible on Constant Attendant Allowance.	(a) Constant Attendant Allowance is payable **from 1.1.2006.** (b) Yes, the pensioners who retired on disability pension **before 1.1.2006** and fulfilling the conditions mentioned in para 10.1 would also be entitled to Constant Attendant Allowance. (c) No.
5	**Para 12** The Government servants who retired within 10 months from 1.1.1996 were allowed the benefit of notional increase of 40% on the pre-1996 basic pay for the purpose of calculation of average emoluments. Whether similar benefit would be given in the case of Government servants who have retired within10 months from the date of coming over to the revised pay structure after 1.1.2006.	For the purpose of computing average emoluments in the case of Government servants who have opted for fixation of pay in the revised Pay Band and retire within 10 months from the date of coming over to the revised Pay Band, basic pay for 10 months period preceding retirement shall be calculated by taking into account pay as follows: (i) For the period during which pay is drawn in revised Pay Structure- Pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay or the pay in the pay scale in the case of HAG+ and above (ii) For the remaining period during which pay is drawn in pre-revised scale of pay- (a) Basic pay plus dearness pay and actual D.A. appropriate to the basic pay at the rates in force on 1.1.2006 drawn during the relevant period. (b) Notional increase of the basic pay by applying the fitment benefit of 40% on the basic pay in the pre-revised pay scale. The clarification (ii) against S.No.1 above will also be applicable in such cases. Para 12 will stand modified to this extent.
6	**Para 13 (ii)** Whether the benefit of calculation of pension @ 50% of emoluments will be available to Government servants who retain the pre-revised scale of pay and also retire from the pre-revised scale of pay.	The provision para 13(ii) of the OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 2.9.2008 will be applicable in the case of those who retire on or after 2.9.2008. Pension of Government servants who retain the pre-revised

https://www.staffnews.in

		scale of pay and also retired from the pre-revised scale of pay between 1.1.2006 and 2.9.2008 will be calculated at 50% of average emoluments in accordance with the orders in force immediately before 2.9.2008. Para 13 (ii) will stand modified to this extent.

2. It is impressed upon all the Ministries/Departments of the Government of India to keep in view the above clarifications while disposing of the cases of revision of pension/family pension. They are also advised to dispose the representations received by them from pensioners on the above issues without referring them to this Department.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their I.C. U.O. No.4.2/22/2008-IC dated 30.09.2008.

(M.P. Singh)
Director (PP)
Telefax No.24624802

To

All Ministries/ Departments of Government of India

https://www.staffnews.in